रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2948] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2013/पौष 10, 1935
No. 2948] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2013/PAUSHA 10, 1935

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3929 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1260(अ) तारीख 15 मई, 2013, जो भारत के राजपत्र तारीख 20 मई, 2013, में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य के जिला मिर्ज़ापुर में उजला नाला के आर- पार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापित बरौनी – कानपुर पाइपलाइन के होरीज़ोंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग द्वारा प्रस्थापन तथा पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 6 सितम्बर, 2013 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त **अधिनियम की धारा** 6 **की उपधारा** (1) **द्वारा प्रद्त्त श**क्तियों **का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए** ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त **अधिनियम की धारा** 6 **की उपधारा** (4) **द्वारा प्रदत्त श**क्तियों **का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि** उक्त **भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से** मुक्त **होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।**

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 **की धारा** 10 **के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।**

अनुसूची

तहसील : सदर	**जिला : मिर्ज़ापुर**	**राज्य : उत्तर प्रदेश**		
गांव का नाम	**खसरा नं.**	**क्षेत्रफल**		
		हेक्टेयर	**एयर**	**वर्ग मीटर**
1	2	3	4	**5**
बसही	1/6	00	02	78
	350	00	03	62
	320मि	00	08	17
	326	00	03	14
	346	00	00	04
	328मि	00	18	10
	329	00	04	19
	330	00	00	16
	342	00	04	43
कंतित	852/1	00	05	64
	887मि	00	14	81
	886	00	00	14
	885	00	00	30
	865	00	00	07
	882/2	00	03	73
	866	00	03	11
	881/3	00	00	84
	877मि	00	05	85
	872	00	01	40
	876मि	00	03	65

[सं. आर-25011/6/2013-ओ आर]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2013

S.O. 3929 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1260(E) dated the 15th May, 2013, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 20th May, 2013, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the "Re-alignment of existing Barauni-Kanpur Pipeline across Ujla Nala by Horizontal Directional Drilling" in Mirzapur district in the state of Uttar Pradesh by Indian Oil Corporation Limited for the transportation of petroleum products;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 6th September, 2013;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL:SADAR	DISTRICT:MIRZAPUR	STATE:UTTAR PRADESH		
Name of Village	Khasra No.	Area		
		Hectare	Are	Sq. mt.
1	2	3	4	5
BASAHI	1/6	00	02	78
	350	00	03	62
	320Mi.	00	08	17
	326	00	03	14
	346	00	00	04
	328Mi.	00	18	10
	329	00	04	19
	330	00	00	16
	342	00	04	43
KANTIT	852/1	00	05	64
	887Mi.	00	14	81
	886	00	00	14

	885	00	00	30
	865	00	00	07
	882/2	00	03	73
	866	00	03	11
	881/3	00	00	84
	877Mi.	00	05	85
	872	00	01	40
	876Mi.	00	03	65

[No. R-25011/6/2013-OR]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.